संख्या-274/2024/3341/22-2-2023-17(1231)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री अल्पनाथ, निवासी जनपद-चन्दौली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक-24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री अल्पनाथ, ग्राम-रायपुर, थाना-धानापुर, जनपद-चन्दौली का निवासी है। बन्दी राजेश यादव दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। चौकीदार पद का वेतन न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 10.08.2002 को जवाहर लाल नेहरू स्मारक बाराबंकी के प्राचार्य डा0 विशेष कुमार सिंह पर फरसे से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-428/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 02.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2021 तक अपरिहार 19 वर्ष, 03 माह तथा सपरिहार 22 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.05.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट एवं बन्दी से साक्षात्कार के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, छूटने पर फिर अपराध करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने, अपराध करना पेशा होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। चौकीदार पद का वेतन न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 10.08.2002 को जवाहर लाल नेहरू स्मारक बाराबंकी के प्राचार्य डा0 विशेष कुमार सिंह पर फरसे से ताबड़तोड़ वारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश यादव पुत्र अल्पनाथ यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव (बंदी संख्या-45317) पुत्र श्री अल्पनाथ, निवासी जनपद-चन्दौली के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-274/2024/3341(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सहबद्ध रिट याचिका (क्रि0) संख्या-376/2021 विजय प्रताप व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-274/2024/3341/22-2-2023-17(1231)/2023

दिनांक 12 नवम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री अल्पनाथ, ग्राम-रायपुर, थाना-धानापुर, जनपद-चन्दौली का निवासी है। बन्दी राजेश यादव दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। चौकीदार पद का वेतन न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 10.08.2002 को जवाहर लाल नेहरू स्मारक बाराबंकी के प्राचार्य डा0 विशेष कुमार सिंह पर फरसे से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-428/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 02.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2021 तक अपरिहार 19 वर्ष, 03 माह तथा सपरिहार 22 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.05.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट एवं बन्दी से साक्षात्कार के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, छूटने पर फिर अपराध करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने, अपराध करना पेशा होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। चौकीदार पद का वेतन न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 10.08.2002 को जवाहर लाल नेहरू स्मारक बाराबंकी के प्राचार्य डा0 विशेष कुमार सिंह पर फरसे से ताबड़तोड़ वारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश यादव पुत्र अल्पनाथ यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।